हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

चौदहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्या: 136

वीरवार, 9 **मार्च**, 2017/18 **फाल्गुन**, 1938(**शक्**)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

11.00 **बजे (पूर्वाह्न)**

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

1. **प्रश्नोत्तर:**

(i) **तारांकित प्रश्न**:

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 3591 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 3772, 3774 से 3778 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। सदस्य की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 3773 का उत्तर सभा पटल पर रखा गया। तारांकित प्रश्न संख्या 3779 से 3791 तक के उत्तर सम्बन्धित मन्त्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) **अतारांकित प्रश्न**:

अतारांकित प्रश्न संख्या 1602 से 1609 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

12.00 **PM**

2. **<u>कागज़ात सभा पटल पर :</u>**

(1) **श्री वीरभद्र सिंह**, **मुख्य मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2016-17 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री धनी राम शांडिल**, **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री** ने हिमाचल प्रेश पूर्व सैनिक निगम, अधिनियम, 1979 की धारा 23(6) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम, हमीरपुर की 35वीं वार्षिक प्रशासनिक विवरणिका, वर्ष 2015-16 की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. **<u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन</u>**:

(1) **श्री रविन्द्र सिंह**, **लोक लेखा समिति** (**वर्ष** 2016-17) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी:-

(i) समिति का 163**वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 143वें मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सहकारिता विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का 164**वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 144वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सहकारिता विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्री खूब राम**, **सभापति**, **कल्याण समिति**, (**वर्ष** 2016-17) ने समिति का 34**वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 26वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है कि प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

4. **<u>विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन:</u>**

श्रीमती सरवीन चौधरी, **सदस्य** ने **कार्य-सलाहकार समिति का चौदहवां प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया ।

प्रस्ताव स्वीकार।

<u>व्यवस्था का प्रश्न</u>

श्री सुरेश भारद्वाज, **सदस्य** ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय, मैं एक मानवता से जुड़ा हुआ मामला यहां उठाना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय है और उसी के पार्ट के अन्तर्गत कमला नेहरू अस्पताल नाम से एक अस्पताल है। उसमें कुछ दिन पहले दो शिशु पैदा हुए, लेकिन वे दोनों बदल गए। उस मामले में डी.एन.ए. टैस्ट करवाने पड़े तब जाकर बड़ी मुश्किल से वे अपने-अपने माँ-बाप के पास वापस दिए गए।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार अभी दो दिन पूर्व इस अस्पताल में एक रोगी नीलम कुमारी नाम की गई। उनका नवां महीना था और डिलीवरी होनी थी। वहां देखने के बाद, उनको एक टैस्ट करवाने के लिए कहा गया। इस टैस्ट के लिए उनको आई.जी.एम.सी. जाना था लेकिन उन्हें उसके लिए कोई ऐम्बूलेंस नहीं दी गई। वे वहां गईं, उनका वहां टैस्ट हुआ और वह वापिस के.एन.एच. गईं। क्योंकि वहां उनसे कहा गया था कि यह बच्चा मर चुका है लेकिन उसके बावजूद भी के.एन.एच. में डॉक्टर्ज़ ने उनको नार्मल डिलीवरी के लिए इंजेक्शन लगा दिया और फिर दुबारा से सुबह एक और इंजेक्शन लगा दिया कि डिलीवरी हो। सिजेरियन नहीं किया। वैसे जल्दी से सिजेरियन कर देते हैं। जब पहले ही उनको बता दिया था कि मरा हुआ बच्चा है, लेकिन उसको दुबारा से अस्पताल भेजा कि आई.जी.एम.सी. में जाकर टैस्ट कराओ। फिर भी उनको कोई गाड़ी नहीं दी गई, उनको टैक्सी में जाना पड़ा और वहां मरा हुआ बच्चा डिक्लेयर हुआ जबकि प्रोसीजर यह है कि इमरजैंसी में डॉक्टर को कॉल पर बुलाया जाता है और रेडियोलॉजिस्ट को के.एन.एच. में बुलाया जाता सकता था, लेकिन न

उसको बुलाया गया और न ही पेशेन्ट के लिए कोई गाड़ी दी गई। अगर सिजेरियन पहले ही हो जाता, तो बच्चा जीवित होता। लेकिन वह बच्चा मर गया। तो सरकार बहुत असंवेदनशील है। अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर आपसे निवेदन है कि सदन की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए जाएं कि इस पर उच्च स्तर पर जांच हो और जिन लोगों ने इस मामले में कोताही बरती है उनको सख्त-से-सख्त सजा दिलाई जाए।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित निर्णय दिया:-

"I will get the report from the Government and take appropriate action immediately."

12.10 PM

5. <u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:</u>

श्री सतपाल सिंह सत्ती ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की:-

दिनांक 28 फरवरी, 2017 को अमर उजाला समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक "**खाली पेयजल टैंक में मिला कंकाल, सनसनी**" से उत्पन्न स्थिति ।

माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री सतपाल सिंह सत्ती ने स्पष्टीकरण पूछा।

माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री ने उत्तर दिया।

6. <u>मन्त्री द्वारा वक्तव्य:</u>

श्री ठाकुर सिंह भरमौरी, वन मन्त्री ने दिनांक 26 अगस्त, 2016 को सभा में पारित गैर-सरकारी सदस्य संकल्प '**प्रदेश में जंगली जानवरों/आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या से किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान की रोकथाम के लिए एक वृहद योजना बना कर वित्तीय सहायता हेतु केन्द्र**

सरकार को भेजी जाए' प्रस्ताव पर कृत कार्रवाई बारे सदन को अवगत करवाया।

7. **<u>गैर-सरकारी सदस्य कार्य:</u>**

"संकल्प"

श्री रविन्द्र सिंह ने निम्न प्रस्ताव जो कि दिनांक 22.12.2016 को सदन में प्रस्तुत किया जा चुका है पर आगे चर्चा की :-

> "**यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि "खुदरो दरखतान-तहजमीन मालिकान-मलकियत सरकार" का मालिकाना हक प्रदेश के किसानों को दिया जाए।**"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया:-

1) श्री वीरेन्द्र कंवर

(**अपराह्न** 1.00 **बजे सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए अपराह्न** 2.00 **बजे तक स्थगित हुई**)

(**अपराह्न** 2.00 **बजे सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में पुन: आरम्भ हुई**)

2) श्री बिक्रम सिंह

माननीय वन मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया

श्री रविन्द्र सिंह ने स्पष्टीकरण पूछा।
माननीय वन मन्त्री ने उत्तर दिया।

संकल्प वापिस हुआ।

पहला संकल्प:

1. **श्री इन्द्र सिंह** ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया एवं चर्चा की:-

> "**यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि सरकारी विद्यालयों में समस्त सुविधाओं के बावजूद विद्यार्थियों की घटती संख्या पर रोक लगाने हेतु ठोस नीति बनाई जाए।**"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया:-

1) श्री हंस राज
2) श्री जगत सिंह नेगी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय
3) श्रीमती आशा कुमारी
4) श्री जय राम ठाकुर
5) श्री विजय अग्निहोत्री

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री इन्द्र सिंह ने स्पष्टीकरण पूछा।

माननीय मुख्य मन्त्री ने उत्तर दिया।

संकल्प वापिस हुआ।

दूसरा संकल्प:

2. **श्री महेश्वर सिंह** ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया एवं चर्चा की:-

> "**यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीय उच्च मार्गों से प्रभावित लोगों की अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर निर्मित मकान व लगाए गए फल-पौधों इत्यादि का मूल्यांकन कर उचित मुआवज़ा दिलवाया जाए और विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास हेतु नीति निर्धारित की जाए।**"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री रिखी राम कौंडल
2. श्री गोविन्द सिंह ठाकुर
3. श्री बम्बर ठाकुर

(**सांय** 5.00 **बजे सदन की बैठक शुक्रवार**, **दिनांक** 10 **मार्च**, 2017 **के पूर्वाह्न** 11.00 **बजे तक स्थगित हुई**)